

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बानु बनाम समता (गौरा)

प्रा.पत्र 111-128 नं० 74 दिनांक 2021

हुकम या कार्यवाही मध्य इनिशयल्स आज

नामद व राजकीय
अदालत जो हुकम
हुकम की राजकीय
में जारी हु

21 लव / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
दिपक्षोंको को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 30-7-21 को
पेश हो

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कमिश्नर माण्डल

30/7 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 31-8-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

31/7 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 30-9-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

132/ पत्रावली प्रशासन जाने के लेगे अभियान 2021 गुम लिस्टिया
में पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त
हुए एवं पखार हल्का पखारी डारा रिवाट प्राप्त हुई
जिसे शा.पत्र किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पत्रक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल कुमार होकर
नम्बर से कम हो



डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गौनों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 74/20 प्रा.पत्र

1- श्री नाम 510

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

नाम ब्लाई निकासी - दाता कला तहसील - माण्डल - प्राथी

बनाम

1- श्रीमती समता थो आरायण वाट निकासी - दाता कला तहसील - माण्डल (गोंरा) - विपक्षीगण
(प्रबोधि प्रा. पत्रसलम)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13.11.21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... दाता कला..... पटवार हल्का..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... 1027..... कुल किता 01..... रकबा..... 0.4173..... हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.6.21..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... दाता कला..... पटवार हल्का..... दाता कला..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 1027..... कुल किता 01..... रकबा..... 0.4173..... हेक्टेयर.....

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... 51051..... को 500/-..... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा करावें पर निबन्धानुसार प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
मांडल, जिला - भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021